2019/00039

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 38/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र नहन्या जाति माली निवासी धूलाराम जी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या71/2018 व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018 ब उनवानी प्रभू नारायण बनाम सूरज मल वगैरह को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.05.2018 को एडवोकेट रमा शंकर शर्मा ने उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 माधोलाल ने जबरन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि मे अवैद्य रूप से एक टीन शैड प्रार्थी की कब्जे काश्त कि भूमि में लगा दिया है। प्रार्थी ने अवमानना का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उक्त अप्रार्थी बिना बंटवारे के प्रार्थी की कब्जे शुदा भूमि पर अवैद्य लगे टीन शैड की स्वीकृति देने पर आमादा है। दिनांक 13.05.20189 को प्रार्थी ने निवेदन किया है कि यदि बार बार में प्रतिवादीगण को टीन शैड व निर्माण हेतु स्वीकृति दी जाती रही तो दावा पेश करने का मकसद ही खत्म हो जावेगा और जब माननीय न्यायालय ने टी आई जारी कर रखी है, तो स्वीकृति कैसे दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को मौखिक रूप से कहा कि उक्त प्रकरण को मुझे जल्द से जल्द निस्तारित करना है और मै किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानता हूं मै टीन शैड निमार्ण की स्वीकृति दे कर रहूंगा । उक्त प्रकरण को मै वादी के पक्ष में निस्तारित करके रहूंगा। प्रार्थी को उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये यह पूण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी एवं वादी के मध्य सांठगांठ हो चुकी है एवं प्रकरण वादी के पक्ष में निस्तारित किया जावेगा। उक्त कार्यवाही से पीठासीन अधिकारी की बदनियती स्पष्टतः प्रतीत होती है। अप्रार्थी की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई आशा नही रहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई

जिला कलक्टर
जयपुर

हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई ।

3. प्रकरण में श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता ने लल्लू पुत्र मूलचन्द एवं रामकल्याण पुत्र नहन्धा की ओर से वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लल्लू व रामकरण पक्षकार है, परन्तु प्रार्थी ने जानबूझ कर इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

5. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नही हुई है, जिससे प्रार्थी के कथनों को बल मिलाता है परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 71/2018 व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018 ब उनवानी प्रभू नारायण बनाम सूरज मल वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर